रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 115] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 1973/वैशाख 21, 1895

No. 115] NEW DELHI FRIDAY, MAY 11, 1973/VAISAKHA 21, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INSURANCE

New Delhi, the 11th May 1973

G.S.R. 249(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the General Insurance (Emergency Provisions) Act, 1971 (17 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the General Insurance (Emergency Provisions) Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the General Insurance (Emergency Provisions) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the General Insurance (Emergency Provisions) Rules, 1972—

(a) in sub-rule (1), in clause (f), after the words "among the shareholders", occurring in both the places, the brackets and words "(being holders of equity shares, and of preference shares which confer a right to participate in the profits of the insurer in addition to the right to a fixed preferential dividend)" shall be inserted;

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The amount of compensation payable under section 6 of the said Act to an insurer, other than an Indian insurance company or a foreign insurer as defined in section 3 of the Nationalisation Act, up

to the nationalisation day and the amount of income earned from the investment thereof shall be utilised to meet the liability for income-tax and any other taxes or dues under any law for the time being in force in respect of such compensation and income and to meet all incidental expenses, such as expenses on maintenance of accounts and defence of suits; and the balance, if any, shall be dealt with in the same manner as the amount referred to in section 11 of the Nationalisation Act is dealt with in the case of such insurer.".

[No. F. 63(48)-Ins. I/71.]

M. K. VENKATESHAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

बीमा

नई दिल्ली, 11 मई, 1973

सा० का० नि० 249(अ).—विविध बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 (1971 का 17) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, विविध बीमा (आपात उपबन्ध) नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम विविध बीमा (आपात उपबन्ध) संशोधन नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विविध बीमा (आपात उपबन्ध) नियम, 1972 के नियम 3 में—

(क) उपनियम (1) के खण्ड (च) में, दोनों स्थानों पर आने वाले "शेयरधारकों में" शब्दों के पश्चात, "(जो ऐसे साधारण शेयरों और अधिमानता शेयरों के धारक हों, जो नियत अधिमानी लाभांश के अधिकार के अतिरिक्त बीमाकर्ता के लाभों में शामिल होने का अधिकार प्रदान करते हैं)" शब्द और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"(2) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी भारतीय बीमा कम्पनी या विदेशी बीमाकर्ता से भिन्न, किसी बीमाकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन राष्ट्रीयकरण दिवस तक देय प्रतिकर की रकम और उसके विनिधान से उपार्जित आय की रकम, आयकर और ऐसे प्रतिकर और आय की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किन्हीं अन्य करों या शोध्यों के दायित्व को पूरा करने के लिए और सभी आनुषंगिक व्ययों, जसे लेखाओं के अनुरक्षण और वादों में प्रतिरक्षा पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग की जाएगी ; और अतिशेष, यदि कोई हो, उसी रीति से बरता जाएगा, जिस प्रकार राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट रकम ऐसे बीमाकर्ता की दशा में बरती जाती है ।"

[सं० फा० 63 (48)-बीमा 1/71]

एम० के० वेंकटेशन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973